BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 538 OF 2022

IN THE MATTER OF:

SWARAN SINGH ... Applicant

Versus

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ... Respondents

INDEX

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1.	Copy of the Final orders passed by DM Nanital dated 24.04.2023	1-4
2.	Copy of the Final order of the Additional Secretary dated 27.04.2023, 28.04.2023 and 25.05.2023.	5-15
3.	Copy of the Recovery Certificates issued by the Additional District Magistrate (Finance and Revenue) dated 13.10.2023	16-20

NEW DELHI
DATED 17.10.2023

ADV ANJALI RAJPUT
For Respondent no 1,3 and 4 & 7
Chamber no 136, M. C. Setalvad Block
Supreme Court of India, New Delhi-01
Mobile no 9811777368
Advanjali.rajput@gmail.com

–:आदेशः–

अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या–1044/भू0खनि0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 25.11.2021 को उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी एवम् संयुक्त निदेशक (खनन, कुमाऊँ मण्डल), भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एवम् खनन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में ग्राम सेमलचौड़ में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञाओं का औचक निरीक्षण मूल में सलग्न कर महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। संयुक्त निरीक्षण आंख्या निम्नवत् है:–

01– श्री कमर सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:–

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1644/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सैमलचौड़, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड़, तहसील कालाढूंगी जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा सं0 121 मि0 व खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा सं0 89 मिन व खाता सं0 32 के खसरा सं0 88 मि0 व खसरा सं0 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई X 12 मीटर चौड़ाई X 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (80 मी0 X 12 मी0 X 1.86मी0) कुल 2856.96 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी है।

उक्त आंख्या के आधार पर कार्यालय के पत्र संख्या 61/30–जी.सी./2021–22 दिनाँक 05 जनवरी, 2022 द्वारा अवैध खननकर्ता उपरोक्त को नोटिस प्रेषित करते हुए नोटिस प्राप्ती के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो बाद तामील वापस प्राप्त है, परन्तु अवैधखननकर्ता द्वारा आतिथि तक अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

02– श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा:–

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1643/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड़ तहसील कालाढूंगी जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा सं0 131/5 रकवा 1.676 है0, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 रकवा 1.474 है0, खाता सं0 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रकवा 2.475 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रकवा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई X 65.76 मीटर चौड़ाई X 12 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई X 45 मीटर चौड़ाई X 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.00 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70 मी0 X 45 मी0 X 2.0मी0) कुल 10,080 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्कतीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी है।

2

उक्त आंख्या के आधार पर कार्यालय के पत्र संख्या 60/30–जी.सी./2021–22 दिनाँक 05 जनवरी, 2022 द्वारा अवैध खननकर्ता उपरोक्त को नोटिस प्रेषित करते हुए नोटिस प्राप्ती के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो बाद तामील वापस प्राप्त है, परन्तु अवैधखननकर्ता द्वारा आतिथि तक अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल द्वारा उपलब्ध कराई गई आंख्या के आधार पर अवैध खननकर्ता 1– श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल द्वारा किये गये 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस मात्र) तथा 2–श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर द्वारा 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्कतीस लाख चार हजार छ सौ चालीस मात्र) की धनराशि अध्यारोपित की जाती है। उक्त अर्थदण्ड निधारित लेखाशीर्षक में एक माह के अन्दर जमा करना होगा। अध्यारोपित धनराशि जमा न करने पर उक्त धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भॉति की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 04 /30–जी.सी./2022–23 दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि :–

1– उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी।
2– अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
3– श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल।
4– श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिह, निवासी ग्राम सूद कालोनी, तहसील बाजपुर जनपद उधमसिंह नगर।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

3

–: आदेश :–

उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी के कार्यालय पत्र संख्या 494/पी.ए./2022 दिनाँक 28 अप्रैल, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि अपर जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवम् खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 26.04.2022 को ग्राम सेमलचौड़ में स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1– श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़ में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :–

"उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के पत्र संख्या 2140/VII-A-1/2021–5(73)/2021 दिनाँक 23 दिसम्बर, 2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़ में खसरा संख्या 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017 है. मध्ये 2.470 है. (100 मीटर लम्बाई x 100 मीटर चौड़ाई x 7.0 मीटर गहराई एवम् 175 मीटर लम्बाई x 84 मीटर चौड़ाई x 7.0 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण की अनुमति व उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी छः माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अन्तर्गत आज दिनाँक26.04.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई x 90 मीटर चौड़ाई x 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई, 04 मीटर गहराई के अतिरक्त) एवम् औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई x 80 मीटर चौड़ाई x 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) 04 मीटर अवैध रुप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,74,400 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल **1,74,440 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् रु. 770 प्रतिघनमीटर की दर सं रु. 13,42,88,400.00 (तेरह करोड़, बयासी लाख, अठासी हजार, चार सौ रुपये मात्र) वसूलने एवम् ई–रवन्ना पोर्टल आई.डी. को बन्द करने की संस्तुति की गई है।**

उक्त आख्या के आधार पर कार्यालय पत्र संख्य 11/30–जी.सी./2021–22 दिनाँक मई, 2022 द्वारा अवैध खननकर्ता उपरोक्त को नोटिस प्रेषित करते हुए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो बाद तामील वापस प्राप्त है, परन्तु अवैधखननकर्ता द्वारा आतिथि तक अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2– श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी के पक्ष में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :–

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5–31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर आज दिनाँक 26.04.2022 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है. क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी. के स्थान पर गहराई 15 मीटर तक (स्वीकृत 06 मीटर की गहराई, 02 मीटर गहराई के अतिरिक्त) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रुप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X28 मीटर चौड़ाईX15 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाईX15 मीटर गहराई) में कुल 97,392 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X40 मीटर चौड़ाईX15 मीटर गहराई में 38,400 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 1,35,792 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है,जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार **कुल 1,35,792 घनमीटरअवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात रु. 770 प्रति घनमीटर की दर से रु. 10,45,59,840 (दस करोड़, पैंतालीस लाख, उन्सठ हजार, आठ सौ चालीस रुपये मात्र)** वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई है।

उक्त आख्या के आधार पर कार्यालय पत्र संख्य 11/30–जी.सी./2021–22 दिनाँक मई, 2022 द्वारा अवैध खननकर्ता उपरोक्त को नोटिस प्रेषित करते हुए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो बाद तामील वापस प्राप्त है, परन्तु अवैधखननकर्ता द्वारा आतिथि तक अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के क्रम में अवैध खननकर्ता श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ अनुज्ञाधारक ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल द्वारा किये गये 1,74,440 घनमीटर उपखनिज के अवैध खनन की रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् ₹ 770 प्रतिघनमीटर की दर से रु. 13,42,88,400.00 (तेरह करोड़, बयासी लाख, अठासी हजार, चार सौ रुपये मात्र) तथा श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह,

क्रमशः–2

4

(2)

निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी द्वारा किये गये 1,35,792 घनमीटर उपखनिज के अवैध खनन की रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् ₹ 770 प्रतिघनमीटर की दर से रु. 10,45,59,840 (दस करोड़, पैंतालीस लाख, उन्सठ हजार, आठ सौ चालीस रुपये मात्र) की धनराशि अध्यारोपित की जाती है। उक्त अर्थदण्ड निर्धारित लेखाशीर्शक में एक माह के अन्दर जमा करना होगा। अध्यारोपित धनराशि जमा न करने पर उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भाँति की जायेगी।

ह०
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 05 /30-जी.सी./2022-23 दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि निम्नाँकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप जिलाधिकारी, ~~हल्द्वानी~~। कालाढूंगी।
2- अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
3- श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ अनुज्ञाधारक ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल।
4- श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी।

/
जिलाधिकारी,
नैनीताल

5

आ०
27/4/2023

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या:706/VII-A-1/2023–10(03)/2022
देहरादून,दिनांक: 24 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 25.11.2021 को राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी के ग्राम सैमलचौड में श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर जनपद नैनीताल के पक्ष मे स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा के संयुक्त निरीक्षण मे अनुज्ञाधारक द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई× 45 मीटर चौडाई × 14.00 मीटर गहराई मे किये गये कार्य के सापेक्ष स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अवैध रूप से की गयी, जिसमे औसतानुसार (70 मी0 × 45 मी × 2.0 मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये) उपखनिज का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसे उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन मानते हुये रॉयल्टी के 5 गुना अर्थात रू0 350 प्रतिटन की दर से कुल रू0 31,04,640.00 की धनराशि वसूली हेतु जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या–60/30–जी0सी0/2021–22, दिनांक 05.01.2022 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया।

इसी प्रकार संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा दिनांक 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष मे स्वीकृत अनुज्ञा स्थल मे 114.60 मीटर लम्बाई × 65.76 मीटर चौडाई × 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई× 117.50 मीटर चौडाई × 15.00 मीटर गहराई में कुल 355320 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये) खनन कार्य किया गया जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल मे अवैध खनन की 10,080 घनमीटर की मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा को कम करने के उपरान्त (355320 – 144693 – 10080) 200547 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया जाना पाया गया। इस प्रकार कुल 200547.00 घनमीटर/441204.00 टन उपखनिज के अवैध खनन को उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन मानते हुये रॉयल्टी के 5 गुना अर्थात रू0 350 प्रतिटन की दर से कुल रू0 15,44,21,400.00 की धनराशि वसूली हेतु जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या–63/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया।

2. जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा निर्गत उक्त नोटिसों के विरूद्ध श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर जनपद नैनीताल द्वारा शासन स्तर पर दिनांक 24.01.2023 को पुनरीक्षण/अपील योजित की गयी, तत्क्रम में दिनांक 27.02.2023 को पुनः प्रस्तुत अनुरोध पत्र के सन्दर्भ में दिनांक 13.04.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई। उक्त सुनवाई में निम्न द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री एस0एल0 पैट्रिक, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
2. श्री राजपाल लेघा, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
3. श्री दीपक जोशी, अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री नत्थी सिंह बर्तवाल, अधिकृत प्रतिनिधि (पुनरीक्षणकर्ता श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर जनपद नैनीताल द्वारा दिनांक 13.04.2023 को दिये गये अनुरोध पत्र के आधार पर)

3. सुनवाई बैठक मे विभागीय अधिकारियों द्वारा संज्ञानित कराया गया कि अनुज्ञाधारक के पक्ष मे जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल द्वारा आदेश संख्या 1643, दिनांक 22.10.2021 के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष मे ग्राम सैमलखेड़, तहसील कालाढूंगी जनपद नैनीताल मे खसरा नं0 231/5, 231/4/2, 231/3/1 कुल रकबा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मी0 लम्बाई × 65.76 मी0 चौड़ाई × 12 मीटर गहराई क्षेत्रफल मे स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये होटल निर्माण के बेसमेन्ट पार्किंग निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भू-भाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घ0मी0 आर0बी0एम0 की निकासी हेतु 03 माह की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके लिये अनुज्ञाधारक द्वारा रॉयल्टी धनराशि एव अन्य करों सहित कुल रू0 3,16,41,476/-की धनराशि जमा की गयी थी। उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) चुगान नीति 2016 मे निर्धारित बल्क डैन्सिटी 2.2 के आधार पर एवं स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये अवैध रूप से उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर जुर्माने की धनराशि आंकलित की गई है। इनके द्वारा अवैध खनन किये जाने पर स्वीकृत अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति संयुक्त जांच दल द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को की गयी थी, जिसके कम मे जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या 1850/30-जी0सी0/2021-22, दिनांक 07.01.2022 द्वारा उक्त अनुज्ञा को निरस्त कर दिया गया था। तत्समय अनुज्ञाधारक के ई-रवन्ना पोर्टल के अभिलेखानुसार 61425.9 टन उपखनिज की निकासी की जानी अवशेष थी। सुनवाई बैठक मे विभागीय अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि अनुज्ञाधारक को स्वैल फैक्टर के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति थी तो अनुज्ञा स्वीकृति के समय आपत्ति दर्ज की जानी चाहिये थी, जो कि तत्समय नहीं की गयी।

4. बैठक में उपस्थित पुनरीक्षणकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 27.02.2023 के कम में अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, नैनीताल के आदेश दिनांक 22.10.2021 द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर जनपद नैनीताल के खसरा नं0 231/5, 231/4/2, 231/3/1 कुल रकबा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मी0 लम्बाई × 65.76 मी0 चौड़ाई एवं 12 मीटर गहराई क्षेत्रफल में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये होटल निर्माण के बेसमेन्ट पार्किंग निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भू-भाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घ0मी0 आर0बी0एम0 की निकासी हेतु 03 माह की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा किये गये निरीक्षण में आरोपित जुर्माना धनराशि के सन्दर्भ में संज्ञानित कराया गया कि 01 मी0 लम्बाई × 01 मी0 चौड़ाई × 01 मीटर गहराई का खनन करने पर लगभग 22.00 कु0 उपखनिज निकलता है, जबकि संयुक्त निरीक्षण आख्या/जुर्माने में उतना ही आयतन में 35.20 कु0 मानते हुये गणना की गयी है। इस प्रकार से उक्त अनुज्ञा में रॉयल्टी का आंकलन एवं जुर्माने में आरोपित धनराशि का गलत आंकलन किया गया है, जबकि पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा में अब तक वास्तविक रूप से लगभग 8.00 लाख कु0 की निकासी होनी अवशेष है, जो कि ई-रवन्ना पोर्टल में आज भी दर्ज है। पुनरीक्षणकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अनुज्ञा स्वीकृति के समय संयुक्त जांच दल द्वारा लगाये गये स्वैल फैक्टर 1.6 के सम्बन्ध में जानकारी नहीं होने के कारण तथा खनन का प्रथम बार कार्य करने के कारण सही वस्तुस्थिति व नियमों का ज्ञान नहीं था, जिस कारण तत्समय स्वैल फैक्टर के निर्धारण पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकी थी। जुर्माना धनराशि आरोपित होने के उपरान्त ही स्वैल फैक्टर के सम्बन्ध में सही जानकारी प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अपनी आपत्ति/अनुरोध शासन में प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुक्रम में शासन की अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 द्वारा स्वैल फैक्टर का निर्धारण तात्कालिक प्रभाव से किया गया है। इससे पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य में स्वैल फैक्टर का कोई निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित नहीं था।

5. सुनवाई बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से यह तथ्य प्रकाश में आया कि शासन की राज्य में स्वैल फैक्टर का निर्धारण अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 से प्रभावी किया गया है, जबकि इससे पूर्व ही सम्बन्धित अनुज्ञा के

7

सन्दर्भ में स्वैल फैक्टर 1.6 का निर्धारण जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा में किया गया है। प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 से राज्य में प्रभावी स्वैल फैक्टर के मानक नियमानुसार पूर्वगामी तिथि में प्रभावी नहीं माने जा सकते है, जिस कारण प्रकरण में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा लगाये गये स्वैल फैक्टर 1.6 के मानकों को इस आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं है।

उक्त सुनवाई में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्य, पुनरीक्षणकर्ता के कथन एवं सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन/विवेचना करने के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:–

आदेश

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम–16 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत पुनरीक्षण अनुरोध पत्र को सुनते हुये प्रकरण में श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर जनपद नैनीताल के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा के संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक द्वारा प्रश्नगत स्थल पर बेसमेन्ट का खुदान स्वीकृत क्षेत्रफल 114.60 मी0 लम्बाई × 65.76 मी0 चौड़ाई × 12 मीटर गहराई के स्थान पर 126 मी0 लम्बाई × 117.5 चौडाई × 15 मी0 गहराई क्षेत्रफल में खनन किये जाने के फलस्वरूप कुल 2,22,075 घनमीटर उपखनिज निकाला गया है, जबकि अनुज्ञाधारक द्वारा 1,44,693 घनमीटर उपखनिज की रॉयल्टी एवं अन्य कर के रूप में कुल रू0 3,16,41,476/– की धनराशि पूर्व में ही जमा की जा चुकी है। शासन की अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 से प्रभावी स्वैल फैक्टर 1.6 के मानक निर्धारण की प्रास्थिति को देखते हुये तत्समय जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अवैध खनन की मात्रा पर निर्धारित किये गये स्वैल फैक्टर 1.6 का प्रभाव शून्य है।

इस प्रकार से अनुज्ञाधारक द्वारा प्रश्नगत स्थल से 77,382 घनमीटर (2,22,075–1,44,693)अर्थात 139287.6 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जोकि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन मानते हुये रॉयल्टी के 5 गुना अर्थात रू0 350 प्रतिटन की दर से कुल रू0 4,87,50,660/– की धनराशि अधिरोपित की जाती है। अतः जिलाधिकारी,, नैनीताल के द्वारा पारित उक्त नोटिसों को तदनुसार दुरूस्त/संशोधित करते हुये उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि को सम्बन्धितों से अधिकतम 06 माह के भीतर वसूल कर राजकोष में जमा कराये जाने का निर्णय पारित करते हुये तद्नुसार पुनरीक्षण/अपील निर्णित एवं निस्तारित की जाती है।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्याः 706/VII-A-1/2023–10(03)/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी नैनीताल।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर जनपद नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

22/09/23

8

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल AUG 2023

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 711 / VII-A-1 / 2023–10(09) / 2023
देहरादून, दिनांकः 28 अप्रैल, 2023

जिलाधिकारी
नैनीताल

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल
संख्या 2867 दिनांक 26.8.23

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के पत्र संख्या 2140 / VII-A-1 / 2021–05(73) / 2021, दिनांक 23.12.2021 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी दुर्गापालपुर मोतीराम तहसील लालकुँआ जिला नैनीताल के पक्ष मे जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी ग्राम सेमलचौड़ के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1, कुल रकबा 5.017 है0 मध्ये 2.470है0 भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी हेतु 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गयी थी, जिसमें 100 मीटर लम्बाई× 100 मीटर चौडाई × 7.0 मीटर गहराई एवं 175 मीटर लम्बाई× 84 मीटर चौडाई × 7.0 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये समतलीकरण की अनुमति व उक्त भू–भाग पर खुदान से निकलने वाले 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी 06 माह में किये जाने की अनुमति प्रदत्त की गयी। स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में दिनांक 26.03.2022 को राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई× 90 मीटर चौडाई × 5.0 मीटर गहराई (स्वीकृत 7.0 मीटर गहराई के अतिरिक्त) एवं औसतानुसार 160 मी0 लम्बाई × 80 मी0 चौड़ाई × 4.0 मी0 गहराई (स्वीकृत 7.0 मीटर गहराई के अतिरिक्त) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये कुल 1,53,920 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसे उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन मानते हुये रॉयल्टी के 5 गुना अर्थात रू0 770 प्रति घनमीटर की दर से कुल रू0 11,85,18,400.00 की धनराशि वसूली हेतु जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या–05 / 30–जी0सी0 / 2021–22, दिनांक 11.04.2022 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया।

इसी प्रकार संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा दिनांक 26.04.2022 को किये गये निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष मे स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में अनुमन्य क्षेत्रफल के स्थान पर अनुज्ञाधारक द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई× 90 मीटर चौडाई × 5.0 मीटर गहराई (स्वीकृत 7.0 मीटर की गहराई, 4.0 मी0 गहराई के अतिरिक्त) एवं औसतानुसार 160 मी0 लम्बाई × 80 मी0 चौड़ाई × 5.0 मी0 गहराई (स्वीकृत 7.0 मीटर गहराई के अतिरिक्त) 4.0 मी0 अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये कुल 1,74,400 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसे उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन मानते हुये रॉयल्टी के 5 गुना अर्थात रू0 770 प्रति घनमीटर की दर से कुल रू0 13,42,88,400.00 की धनराशि वसूली हेतु जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या–11 / 30–जी0सी0 / 2021–22 दिनांक 05.05.2022 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया।

9

2. जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा निर्गत उक्त नोटिसों के विरूद्ध श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी दुर्गापालपुर मोतीराम तहसील लालकुँआ जिला नैनीताल द्वारा शासन स्तर पर दिनांक 30.01.2023 को पुनरीक्षण/अपील योजित की गयी, जिसके सन्दर्भ में दिनांक 13.04.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई। उक्त सुनवाई में निम्न द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री एस0एल0 पैट्रिक, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
2. श्री राजपाल लेघा, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
3. श्री दीपक जोशी, अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री सतीश कुमार, अधिकृत प्रतिनिधि (पुनरीक्षणकर्ता श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी दुर्गापालपुर मोतीराम तहसील लालकुँआ जिला नैनीताल द्वारा दिनांक 13.04.2023 को दिये गये अनुरोध पत्र के आधार पर)

3. सुनवाई बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा संज्ञानित कराया गया कि औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के पत्र संख्या 2140/VII-A-1/2021–05(73)/2021, दिनांक 23.12.2021 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी दुर्गापालपुर मोतीराम तहसील लालकुँआ जिला नैनीताल के पक्ष मे जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी ग्राम सेमलचौड़ के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1, कुल रकबा 5.017 है0 मध्ये 2.470है0 भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी हेतु 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गयी थी, जिसमें 100 मीटर लम्बाई× 100 मीटर चौडाई × 7.0 मीटर गहराई एवं 175 मीटर लम्बाई× 84 मीटर चौडाई × 7.0 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये समतलीकरण की अनुमति व उक्त भू–भाग पर खुदान से निकलने वाले 2,76,640 धनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी 06 माह में किये जाने की अनुमति प्रदत्त की गयी। उक्तानुसार स्वीकृत की गयी अनुज्ञा की अनुमति के सापेक्ष अनुज्ञाधारक द्वारा रॉयल्टी धनराशि एवं अन्य करों सहित कुल रू0 6,04,95,636/– की धनराशि जमा की गयी थी। उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) चुगान नीति 2016 में निर्धारित बल्क डैन्सिटी 2.2 के आधार पर एवं स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये अवैध रूप से उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर जुर्माने की धनराशि आंकलित की गई है। इनके द्वारा अवैध खनन किये जाने पर स्वीकृत अनुज्ञा का ई–रवन्ना आई0डी0 पोर्टल बन्द करने की संस्तुति संयुक्त जांच दल द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को की गयी थी, जिसके कम में जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 11/30–जी0सी0/2021–22, दिनांक 05.05.2022 द्वारा उक्त अनुज्ञा का ई–रवन्ना आई0डी0 पोर्टल बन्द करने की संस्तुति की गयी। तत्समय अनुज्ञाधारक के ई–रवन्ना पोर्टल के अभिलेखानुसार 4532.76 टन उपखनिज की निकासी की जानी अवशेष थी। सुनवाई बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि अनुज्ञाधारक को स्वैल फैक्टर के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति थी तो स्वीकृति के समय आपत्ति दर्ज की जानी चाहिये थी, जो कि तत्समय नहीं की गयी।

4. बैठक में उपस्थित पुनरीक्षणकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुनरीक्षण पत्र दिनांक 30.01.2023 के कम में अवगत कराया गया कि शासन के पत्र दिनांक 23.12.2021 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी दुर्गापालपुर मोतीराम तहसील लालकुँआ जिला नैनीताल के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड़ में कुल रकबा 5.017

10

है0 मध्ये 2.470है0 भूमि में 7.0 मी0 गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 276640 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी हेतु 06 माह की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा किये गये निरीक्षण में आरोपित जुर्माना धनराशि के सन्दर्भ में संज्ञानित कराया गया कि अनुज्ञास्थल का दिनांक 26.03.2022 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक द्वारा औसतन 100 मीटर लम्बाई× 90 मीटर चौडाई × 5.0 मीटर गहराई (स्वीकृत 7.0 मीटर गहराई के अतिरिक्त) एवं औसतन 160 मी0 लम्बाई × 80 मी0 चौड़ाई × 4.0 मी0 गहराई (स्वीकृत 7.0 मीटर गहराई के अतिरिक्त) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये कुल 1,53,920 घन मीटर उपखनिज के अवैध खनन पर रू0 11,85,18,400.00 का जुर्माना लगाया गया, पुनः उक्त स्थल पर दिनांक 26.04.2022 को किये गये स्थलीय निरीक्षण में औसतन 100 मीटर लम्बाई× 90 मीटर चौडाई × 5.0 मीटर गहराई (स्वीकृत 7.0 मीटर की गहराई, 4.0 मी0 गहराई के अतिरिक्त) एवं औसतन 160 मी0 लम्बाई × 80 मी0 चौड़ाई × 5.0 मी0 गहराई (स्वीकृत 7.0 मीटर गहराई के अतिरिक्त) 4.0 मी0 अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये कुल 1,74,400 घन मीटर उपखनिज के अवैध खनन पर रू0 13,42,88,400.00 जुर्माना आरोपित करते हुये नोटिस दिया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अनुज्ञा स्वीकृति के समय संयुक्त जांच दल द्वारा लगाये गये स्वैल फैक्टर 1.6 के सम्बन्ध में जानकारी नहीं होने के कारण तथा खनन का प्रथम बार कार्य करने के कारण सही वस्तुस्थिति व नियमों का ज्ञान नहीं था, जिस कारण तत्समय स्वैल फैक्टर के निर्धारण पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकी थी। जुर्माना धनराशि आरोपित होने के उपरान्त ही स्वैल फैक्टर के सम्बन्ध में सही जानकारी प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अपनी आपत्ति/अनुरोध शासन में प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुक्रम में शासन की अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 द्वारा स्वैल फैक्टर का निर्धारण तात्कालिक प्रभाव से किया गया है। इससे पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य में स्वैल फैक्टर का कोई निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित नहीं था।

5. सुनवाई बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से यह तथ्य प्रकाश में आया कि शासन की राज्य में स्वैल फैक्टर का निर्धारण अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 से प्रभावी किया गया है, जबकि इससे पूर्व ही सम्बन्धित अनुज्ञा के सन्दर्भ में स्वैल फैक्टर 1.6 का निर्धारण जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा में किया गया है। प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 से राज्य में प्रभावी स्वैल फैक्टर के मानक नियमानुसार पूर्वगामी तिथि में प्रभावी नहीं माने जा सकते है, जिस कारण प्रकरण में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा लगाये गये स्वैल फैक्टर 1.6 के मानकों को इस आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं है।

उक्त सुनवाई में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्य, पुनरीक्षणकर्ता के कथन एवं सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन/विवेचना करने के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैः–

आदेश

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम–16 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत पुनरीक्षण अनुरोध पत्र को सुनते हुये प्रकरण में श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी दुर्गापालपुर मोतीराम तहसील लालकुँआ जिला नैनीताल के पक्ष में शासन के पत्र दिनांक 23.12.2021 द्वारा स्वीकृत 06 माह के समतलीकरण की अनुज्ञा के संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक द्वारा प्रश्नगत स्थल पर निर्धारित/अनुमन्य क्षेत्रफल 100 मीटर लम्बाई× 100 मीटर चौडाई × 7.0 मीटर गहराई एवं

11

175 मीटर लम्बाई× 84 मीटर चौडाई × 7.0 मीटर गहराई में लगाये गये स्वैल फैक्टर के आधार पर दी गयी समतलीकरण की अनुमति व उक्त भू-भाग पर खुदान से निकलने वाले 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी के स्थान पर 100 मीटर लम्बाई× 90 मीटर चौडाई × 17 मीटर एवं 160 मीटर लम्बाई× 80 मीटर चौडाई × 16 मीटर गहराई क्षेत्रफल में खनन किये जाने के फलस्वरूप कमशः 1,53,000 घनमीटर एवं 2,04,800 घनमीटर अर्थात कुल 3,57,800 घनमीटर उपखनिज निकाला गया है, जबकि अनुज्ञाधारक द्वारा 2,76,640 घनमीटर उपखनिज की रॉयल्टी एवं अन्य कर के रूप में कुल रू0 6,04,95,636.00/- की धनराशि पूर्व में ही जमा की जा चुकी है। शासन की अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 से प्रभावी स्वैल फैक्टर 1.6 के मानक निर्धारण की प्रास्थिति को देखते हुये तत्समय जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अवैध खनन की मात्रा पर निर्धारित किये गये स्वैल फैक्टर 1.6 का प्रभाव शून्य है।

इस प्रकार से अनुज्ञाधारक द्वारा प्रश्नगत स्थल से 81,160 घनमीटर (3,57,800-2,76,640) अर्थात 1,46,088 टन का अवैध खनन किया गया है, जोकि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन मानते हुये रॉयल्टी के 5 गुना अर्थात रू0 350 प्रतिटन की दर से कुल रू0 5,11,30,800/- की धनराशि अधिरोपित की जाती है। अतः जिलाधिकारी, नैनीताल, के द्वारा पारित उक्त नोटिसों को तदनुसार दुरूस्त करते हुये उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि को सम्बन्धितों से अधिकतम 06 माह के भीतर वसूल कर राजकोष में जमा कराये जाने का निर्णय पारित करते हुये तदनुसार पुनरीक्षण/अपील निर्णित एवं निस्तारित की जाती है।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्याः 711 /VII-A-1/2023-10(09)/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी नैनीताल।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी दुर्गापालपुर मोतीराम तहसील लालकुँआ जिला नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

22/09/23

12

AOM/06/GL

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 837/VII-A-1/2023–10(10)/2023
देहरादून,दिनांकः 25 मई, 2023

जिलाधिकारी
नैनीताल

09 AUG 2023

कार्यालय जिला आबकारी नैनीताल
संख्या 2866 दिनांक 26.8.23

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021–05(31)/2021, दिनांक 12.11.2021 द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी को जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी के ग्राम पत्तापानी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 2.337 है0 भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी के लिये 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गयी थी, जिसमें 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी किये जाने की अनुमति प्रदत्त की गयी। स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में दिनांक 27.12.2021 को राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में अनुमन्य गहराई 6.0 मी0 के स्थान पर गहराई 8.0 मी0 (2.0 मी0 अधिक) तक अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया जाना पाया गया, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई × 28 मीटर चौडाई × 2.0 मीटर गहराई) एवं (37 मी0 लम्बाई × 34 मी0 चौड़ाई × 2.0 मी0 गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये कुल 11,476.00 घन मीटर उपखनिज का खनन कार्य किया गया। उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई×40 मीटर चौडाई × 3.5 मीटर गहराई में 8960 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, इस प्रकार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घनमीटर/44959.20 टन अवैध खनन किये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन मानते हुये रॉयल्टी के 2 गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से कुल रू0 67,59,245.00 की धनराशि वसूली हेतु जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या–64/30–जी0सी0/2021–22, दिनांक 07.01.2022 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। (1)

इसी प्रकार संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा दिनांक 26.04.2022 को किये गये निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में अनुमन्य गहराई 6.0 मी0 के स्थान पर अनुज्ञाधारक द्वारा गहराई 15 मी0 तक (स्वीकृत 06 मी0 की गहराई, 02 मी0 की गहराई के अतिरिक्त) अवैध रूप से खनन किया जाना पाया गया जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई× 28 मीटर चौडाई × 15 मीटर गहराई) (37 मी0 लम्बाई × 34 मी0 चौड़ाई × 15 मी0 गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 का आधार मानते हुये कुल 97,392 घन मीटर खनन किया जाना पाया गया। उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई×40 मीटर चौडाई × 15 मीटर गहराई में 38400 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, इस प्रकार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 13,5792 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन मानते हुये रॉयल्टी के 5 गुना अर्थात रू0 770 प्रति घनमीटर की दर से कुल रू0 10,45,59,840.00/– की धनराशि वसूली हेतु जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या–12/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 05.05.2022 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। (2)

13

2. जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा निर्गत उक्त नोटिसों के विरूद्ध श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल द्वारा शासन स्तर पर दिनांक 30.01.2023 को पुनरीक्षण/अपील योजित की गयी, जिसके सन्दर्भ में दिनांक 13.04.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई। उक्त सुनवाई में निम्न द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री एस0एल0 पैट्रिक, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
2. श्री राजपाल लेघा, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
3. श्री दीपक जोशी, अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री सतीश कुमार, अधिकृत प्रतिनिधि (पुनरीक्षणकर्ता श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल द्वारा दिनांक 13.04.2023 को दिये गये अनुरोध पत्र के आधार पर)

3. सुनवाई बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा संज्ञानित कराया गया कि औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021–05(31)/2021, दिनांक 12.11.2021 द्वारा द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल के पक्ष मे जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी ग्राम पत्तापानी के खाता संख्या 94, 33, 30 के खसरा संख्या 160/1 स, 160/1 समि0, 161/3 मि0, 173/2 मि0, 174/2, 175/1, कुल रकबा 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी 06 माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। उक्तानुसार स्वीकृत की गयी अनुज्ञा की अनुमति के सापेक्ष अनुज्ञाधारक द्वारा रॉयल्टी धनराशि एवं अन्य करों सहित कुल रू0 4,90,62,096/– की धनराशि जमा की गयी थी। उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) चुगान नीति 2016 में निर्धारित बल्क डैन्सिटी 2.2 के आधार पर एवं स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये अवैध रूप से उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर जुर्माने की धनराशि आंकलित की गई है। इनके द्वारा अवैध खनन किये जाने पर स्वीकृत अनुज्ञा का ई–रवन्ना आई0डी0 पोर्टल बन्द करने की संस्तुति संयुक्त जांच दल द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को की गयी थी। तत्समय अनुज्ञाधारक के ई–रवन्ना पोर्टल के अभिलेखानुसार 3513.45 टन उपखनिज की निकासी की जानी अवशेष थी। सुनवाई बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि अनुज्ञाधारक को स्वैल फैक्टर के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति थी तो स्वीकृति के समय आपत्ति दर्ज की जानी चाहिये थी, जो कि तत्समय नहीं की गयी।

4. बैठक में उपस्थित पुनरीक्षणकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुनरीक्षण पत्र दिनांक 30.01.2023 के कम में अवगत कराया गया कि शासन के पत्र दिनांक 12.11.2021 द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल के पक्ष मे तहसील कालाढूंगी ग्राम पत्तापानी के खाता संख्या 94, 33, 30 के खसरा संख्या 160/1 स, 160/1 समि0, 161/3 मि0, 173/2 मि0, 174/2, 175/1, कुल रकबा 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी हेतु 06 माह की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा किये गये निरीक्षण में आरोपित जुर्माना धनराशि के सन्दर्भ में संज्ञानित कराया गया कि अनुज्ञास्थल का दिनाक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक द्वारा 100 मीटर लम्बाई× 28 मीटर चौडाई × 2.0 मीटर गहराई एवं 37 मी0 लम्बाई × 34 मी0 चौड़ाई × 2.0 मी0 गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये कुल 11,476.00 घन मीटर उपखनिज का खनन कार्य किया गया। उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई×40 मीटर चौडाई × 3.5 मीटर गहराई में 8960 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, इस प्रकार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घनमीटर/44959.

20 टन अवैध खनन किये जाने पर रू0 62,94,288.00 का जुर्माना लगाया गया, पुनः उक्त स्थल पर दिनांक 26.04.2022 को किये गये स्थलीय निरीक्षण में अनुमन्य गहराई 6.0 मी0 के स्थान पर अनुज्ञाधारक द्वारा गहराई 15 मी0 तक (स्वीकृत 06 मी0 की गहराई, 02 मी0 की गहराई के अतिरिक्त) अवैध रूप से खनन किया जाना पाया गया, जिसमें औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई × 28 मीटर चौडाई × 15 मीटर गहराई एवं 37 मी0 लम्बाई × 34 मी0 चौड़ाई × 15 मी0 गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 का आधार मानते हुये कुल 97,392 घन मीटर खनन किया जाना पाया गया।

उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई×40 मीटर चौडाई × 15 मीटर गहराई में 38400 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुये) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, इस प्रकार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 13,5792 घनमीटर उपखनिज के अवैध खनन पर रू0 10,45,59,840.00 जुर्माना आरोपित करते हुये नोटिस दिया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अनुज्ञा स्वीकृति के समय संयुक्त जांच दल द्वारा लगाये गये स्वैल फैक्टर 1.6 के सम्बन्ध में जानकारी नहीं होने के कारण तथा खनन का प्रथम बार कार्य करने के कारण सही वस्तुस्थिति व नियमों का ज्ञान नहीं था, जिस कारण तत्समय स्वैल फैक्टर के निर्धारण पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकी थी। जुर्माना धनराशि आरोपित होने के उपरान्त ही स्वैल फैक्टर के सम्बन्ध में सही जानकारी प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अपनी आपत्ति/अनुरोध शासन में प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुक्रम में शासन की अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 द्वारा स्वैल फैक्टर का निर्धारण तात्कालिक प्रभाव से किया गया है। इससे पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य में स्वैल फैक्टर का कोई निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित नहीं था।

5. सुनवाई बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से यह तथ्य प्रकाश में आया कि शासन की राज्य में स्वैल फैक्टर का निर्धारण अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 से प्रभावी किया गया है, जबकि इससे पूर्व ही सम्बन्धित अनुज्ञा के सन्दर्भ में स्वैल फैक्टर 1.6 का निर्धारण जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा में किया गया है। प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 से राज्य में प्रभावी स्वैल फैक्टर के मानक नियमानुसार पूर्वगामी तिथि में प्रभावी नहीं माने जा सकते है, जिस कारण प्रकरण में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा लगाये गये स्वैल फैक्टर 1.6 के मानकों को इस आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं है।

उक्त सुनवाई में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्य, पुनरीक्षणकर्ता के कथन एवं सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन/विवेचना करने के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:-

आदेश

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-16 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत पुनरीक्षण अनुरोध पत्र को सुनते हुये प्रकरण में उपलब्ध समस्त अभिलेखों व नियमों का अवलोकन करने के उपरान्त पाया गया कि शासन की अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 से प्रभावी स्वैल फैक्टर 1.6 के मानक निर्धारण की प्रास्थिति को देखते हुये औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021-05(31)/2021, दिनांक 12.11.2021 द्वारा अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा की वास्तविक मात्रा 1,40,250 घनमीटर (तत्समय स्वैल फैक्टर 1.6 का मानक नियत न होने के कारण) ही आंकलित की जानी चाहिये थी, जबकि यह मात्रा तत्समय स्वैल फैक्टर 1.6 का मानक लगाते हुये कुल 2,24,352 घनमीटर निर्धारित की गयी। उक्तानुसार निर्धारित मात्रा के सापेक्ष अनुज्ञाधारक द्वारा 2,24,352 घनमीटर उपखनिज की रॉयल्टी एवं अन्य कर के रूप में कुल रू0 4,90,62,096/- (रू0 154.00 प्रति घनमीटर की दर से कुल आंगणित रॉयल्टी धनराशि रू0 3,45,50,208/-तथा इसके सापेक्ष निर्धारित 15% क्षतिपूरक शुल्क, 25% डी0एम0एफ0 व 2% स्टाम्प शुल्क की

15

धनराशि सहित) की धनराशि पूर्व में ही जमा की जा चुकी है। इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अनुज्ञा स्वीकृति की वास्तविक मात्रा 1,40,250 घनमीटर के स्थान पर स्वैल फैक्टर 1.6 के अधिरोपण उपरान्त 2,24,352 घनमीटर उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी धनराशि एवं अन्य कर के रूप में कुल 84,102 घनमीटर (2,24,352–1,40,250 घनमीटर) अर्थात 1,85,024.4 टन के अन्तर की रॉयल्टी धनराशि एवं अन्य कर के रूप में रू0 1,83,91,425.40/– की आधिक्य धनराशि जमा करायी गयी है।

प्रकरण में शासन की अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 से प्रभावी स्वैल फैक्टर 1.6 के मानक निर्धारण की प्रास्थिति को देखते हुये तत्समय जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अवैध खनन की मात्रा पर निर्धारित किये गये स्वैल फैक्टर 1.6 का प्रभाव शून्य होने की स्थिति के दृष्टिगत श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल के पक्ष में शासन के पत्र दिनांक 12.11.2021 द्वारा स्वीकृत 06 माह के समतलीकरण की अनुज्ञा के संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक द्वारा प्रश्नगत स्थल पर निर्धारित/अनुमन्य क्षेत्रफल 2.337 है0 में दी गयी समतलीकरण की अनुमति व उक्त भू–भाग पर निकलने वाली उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी के स्थान पर 100 मीटर लम्बाई× 28 मीटर चौडाई × 23 मीटर गहराई एवं 37 मीटर लम्बाई× 34 मीटर चौडाई × 23 मीटर गहराई क्षेत्रफल में खनन किये जाने के फलस्वरूप स्वैल फैक्टर 1.6 के मानक को हटाते हुये क्रमशः कुल 64,400 घनमीटर एवं 28,934 घनमीटर अर्थात कुल 93,334 घनमीटर उपखनिज निकाला गया है। इसके अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक द्वारा 40 मीटर लम्बाई×40 मीटर चौडाई × 15 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 के मानक को हटाते हुये कुल 24,000 घनमीटर उपखनिज निकाला गया है।

इस प्रकार से अनुज्ञाधारक द्वारा प्रश्नगत स्थल से 22,916 घनमीटर (2,24,352–93,334–84,102–24,000) अर्थात 41,248.8 टन का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन मानते हुये रॉयल्टी के 4 गुना अर्थात रू0 70 प्रतिटन की दर से कुल रू0 1,15,49,664.00/– की धनराशि आरोपित होती है, जिसके सापेक्ष उपलब्ध विभागीय आख्या व अभिलेखानुसार अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 23.03.2022 को रू0 67,59,245.00/– की धनराशि ई–चालान (संख्या–08530322E0850335 एवं 08530322E0850385) के माध्यम से जमा कराये जाने के पश्चात् रू0 47,90,419.00 (रू0 1,15,49,664.00–67,59,245.00) की अवशेष धनराशि अधिरोपित की जाती है। अतः जिलाधिकारी, नैनीताल के द्वारा पारित उक्त नोटिसों को तदनुसार दुरूस्त करते हुये उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि को सम्बन्धितों से अधिकतम 06 माह के भीतर वसूल कर राजकोष में जमा कराये जाने का निर्णय पारित करते हुये तदनुसार पुनरीक्षण/अपील निर्णित एवं निस्तारित की जाती है।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्याः 837/VII-A-1/2023–10(10)/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी नैनीताल।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

16

-: **अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयबद्ध** :-

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

-: वसूली प्रमाण-पत्र :-

संख्या : 08/30-जी.सी./खनन/2021-2022, दिनाँक : 13 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

कलेक्टर,
नैनीताल।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जिला कार्यालय, नैनीताल के आदेश संख्याः 04/30-जी.सी./2022-23, दिनाँकः 24-04-2023 के द्वारा अवैध खननकर्ता श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी, ग्राम-सेमलचौड़, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल) को आरोपित धनराशि ₹8,79,944.00 (आठ लाख, उनासी हजार, नौ सौ चवालीस मात्र) को 01 (एक) माह के भीतर निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु अवैध खननकर्ता द्वारा आतिथि तक आरोपित धनराशि ₹8,79,944.00 (आठ लाख, उनासी हजार, नौ सौ चौवालीस मात्र) को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं किया गया है।

अतएव अनुरोध है कि श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी, ग्राम-सेमलचौड़, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल) से अवैध रूप से खनन करने पर आरोपित धनराशि ₹8,79,944.00 (आठ लाख, उनासी हजार, नौ सौ चवालीस मात्र) की भू-राजस्व की भाँति वसूल करने तथा वसूली उपरान्त उक्त धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्षक 0853-अलौह धातुकर्म उद्योग 102-खनिज रियायत शुल्क किराया एवम् स्वत्व शुल्क 01-खनिज रियायत शुल्क व स्वत्व शुल्क के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराते हुए इस कार्यालय को सूचित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। आरोपित धनराशि एवम् अवैध खननकर्ता द्वारा किए गए अवैध खनन का विवरण निम्न प्रकार है :-

नाम बकाएदार	बकाएदार से वसूल की जाने वाली धनराशि का विवरण	
	अवैध भण्डारण की मात्रा	आरोपित धनराशि (₹में)
1	2	3
श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी, ग्राम-सेमलचौड़, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल)।	2856.96 घनमीटर	₹8,79,944.00

उक्त वर्णित वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी महोदया, नैनीताल के अनुमोदन उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
13/10/23
(फिंचा राम चौहान),
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व)/
अपर कलेक्टर, नैनीताल।

–: अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयबद्ध :–

17

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

–: वसूली प्रमाण–पत्र :–

संख्या : 05 /30–जी.सी./खनन/2021–2022, दिनाँक : 13 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

कलेक्टर,
नैनीताल।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जिला कार्यालय, नैनीताल के क्रमशः नोटिस संख्याः 60/30–जी.सी./2021–22, दिनाँकः 05–01–2022 के द्वारा कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् ₹350.00 प्रति टन की दर से कुल ₹31,04,640.00 एवम् नोटिस संख्याः 63/30–जी.सी./2021–22, दिनाँकः 07–01–2022 के द्वारा कुल 2,00,547 घनमीटर/4,41,204 टन अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् ₹15,44,21,400.00 (पन्द्रह करोड़, चवालीस लाख, इक्कीस हजार, चार सौ मात्र) की वसूली के सम्बन्ध में अपना प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी, ग्राम–सूद कॉलोनी, बाजपुर (ऊधम सिंह नगर) के पक्ष में ग्राम–सेमलचौड़, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल) को निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्याः 706/VII-A-1/2023-10(03)/2022, दिनाँकः 27–04–2023, जो सामान्य लिपिक (जी.सी.) कक्ष, जिला कार्यालय, नैनीताल मे खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म विभाग उत्तराखण्ड, जनपद–नैनीताल के माध्यम से दिनाँकः 03–10–2023 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जिला कार्यालय, नैनीताल के क्रमशः नोटिस संख्याः 60/30–जी.सी./2021–22, दिनाँकः 05–01–2022 एवम् नोटिस संख्याः 63/30–जी.सी./2021–22, दिनाँकः 07–01–2022 द्वारा आरोपित धनराशि का उल्लेख करते हुए श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी, ग्राम–सूद कॉलोनी, बाजपुर (ऊधम सिंह नगर) द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में उनके विरूद्ध ₹4,87,50,660.00 (चार करोड़, सत्तासी लाख, पचास हजार, छः सौ साठ मात्र) की धनराशि अधिरोपित की गई है तथा आदेश पारित किया गया है कि जिलाधिकारी, नैनीताल के द्वारा पारित नोटिसों को तद्नुसार दुरूस्त करते हुए उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि को सम्बन्धितों से अधिकतम 06 माह के भीतर वसूल कर राजकोष में जमा कराए जाने का निर्णय पारित करते हुए तद्नुसार पुनरीक्षण/अपील निर्णित एवम् निस्तारित की गई है।

अतएव अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 706/VII-A-1/2023-10(03)/2022, दिनाँकः 27–04–2023 के द्वारा पारित आदेश के क्रम में अनुरोध है कि श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह से अवैध रूप से खनन/भण्डारण करने पर आरोपित धनराशि ₹4,87,50,660.00 भू–राजस्व की भाँति वसूल करने तथा वसूली उपरान्त उक्त धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्षक 0853–अलौह धातुकर्म उद्योग 102–खनिज रियायत शुल्क किराया एवम् स्वत्व शुल्क 01–खनिज रियायत शुल्क व स्वत्व शुल्क के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराते हुए इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। आरोपित धनराशि एवम् अवैध खननकर्ता द्वारा किए गए अवैध खनन का विवरण निम्न प्रकार है :–

नाम बकाएदार	बकाएदार से वसूल की जाने वाली धनराशि का विवरण	
	अवैध भण्डारण की मात्रा	आरोपित धनराशि (₹में)
1	2	3
श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी, ग्राम–सूद कॉलोनी, बाजपुर (ऊधम सिंह नगर) के पक्ष में ग्राम–सेमलचौड़, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल)।	77,382 घनमीटर (2,22,075–1,44,693) अर्थात 139287.6 टन	₹4,87,50,660.00

उक्त वर्णित वसूली प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी महोदया, नैनीताल के अनुमोदन उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
13/10/23
(फिंचा राम चौहान),
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व)/
अपर कलेक्टर, नैनीताल।

18

-: अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयबद्ध :-

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

-: वसूली प्रमाण-पत्र :-

संख्या : 06 /30-जी.सी./खनन/2021-2022, दिनॉक : 13 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

कलेक्टर,
नैनीताल।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जिला कार्यालय, नैनीताल के क्रमशः नोटिस संख्याः 05/30-जी.सी./2021-22, दिनॉकः 11-04-2022 के द्वारा कुल 1,53,920 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पॉच गुना अर्थात् ₹770 प्रति घनमीटर की दर से कुल ₹11,85,18,400.00 (ग्यारह करोड़, पिचासी लाख, अठ्ठारह हजार, चार सौ मात्र) एवम् नोटिस संख्याः 11/30-जी.सी./2021-22, दिनॉकः 05-05-2022 के द्वारा कुल 1,74,440 घनमीटर अवैध खनन की क़ीमत रॉयल्टी का पॉच गुना अर्थात् ₹13,42,88,400.00 (तेरह करोड़, बयालीस लाख, अठ्ठासी हजार, चार सौ मात्र) की वसूली के सम्बन्ध में अपना प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री टीका राम, निवासी, ग्राम-दुर्गालालपुर, मोतीराम हल्दूचौड, तहसील, लालकुऑ (नैनीताल) (अनुज्ञाधारकः ग्राम-सेमलचौड, तहसील, कालाढूंगी नैनीताल) को निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्याः 711/VII-A-1/2023-10(09)/2023, दिनॉकः 28-04-2023, जो सामान्य लिपिक (जी.सी.) कक्ष, जिला कार्यालय, नैनीताल में दिनॉकः 22-09-2023 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जिला कार्यालय, नैनीताल के क्रमशः नोटिस संख्याः 05/30-जी.सी./2021-22, दिनॉकः 11-04-2022 एवम् नोटिस संख्याः 11/30-जी.सी./2021-22, दिनॉकः 05-05-2022 द्वारा आरोपित धनराशि का उल्लेख करते हुए श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी, ग्राम-दुर्गापाल, मोतीराम, तहसील, लालकुऑ (नैनीताल) द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में उनके विरूद्ध ₹5,11,30,800.00 (पॉच करोड़, ग्यारह लाख, तीस हजार, आठ सौ मात्र) की धनराशि अधिरोपित की गई है तथा आदेश पारित किया गया है कि जिलाधिकारी, नैनीताल के द्वारा पारित नोटिसों को तद्नुसार दुरूस्त करते हुए उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि को सम्बन्धितों से अधिकतम 06 माह के भीतर वसूल कर राजकोष में जमा कराए जाने का निर्णय पारित करते हुए तदनुसार पुनरीक्षण/अपील निर्णित एवम् निस्तारित की गई है।

अतएव अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 711/VII-A-1/2023-10(09)/2023, दिनॉकः 28-04-2023 के द्वारा पारित आदेश के क्रम में अनुरोध है कि श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री टीका राम से अवैध रूप से खनन/भण्डारण करने पर आरोपित धनराशि ₹5,11,30,800.00 भू-राजस्व की भाँति वसूल करने तथा वसूली उपरान्त उक्त धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्षक 0853-अलौह धातुकर्म उद्योग 102-खनिज रियायत शुल्क किराया एवम् स्वत्व शुल्क 01-खनिज रियायत शुल्क व स्वत्व शुल्क के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराते हुए इस कार्यालय को सूचित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। आरोपित धनराशि एवम् अवैध खननकर्ता द्वारा किए गए अवैध खनन का विवरण निम्न प्रकार है :-

नाम बकाएदार	बकाएदार से वसूल की जाने वाली धनराशि का विवरण	
	अवैध भण्डारण की मात्रा	आरोपित धनराशि (रू०)
1	2	3
श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी, ग्राम-दुर्गालालपुर, मोतीराम हल्दूचौड़, तहसील, लालकुऑ (नैनीताल) (अनुज्ञाधारकः ग्राम-सेमलचौड़, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल)।	81,160 घनमीटर (3,57,800-2,76,640) अर्थात 1,46,088 टन	₹5,11,30,800.00

उक्त वर्णित वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी महोदया, नैनीताल के अनुमोदन उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
13/10/23
(शिवा राम चौहान)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व)/
अपर कलेक्टर, नैनीताल।

19

-: अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयबद्ध :-

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

-: वसूली प्रमाण-पत्र :-

संख्या : 07 /30-जी.सी./खनन/2021-2022, दिनाँक : 13 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

कलेक्टर,
नैनीताल।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है जिला कार्यालय, नैनीताल के क्रमशः नोटिस संख्याः 64/30-जी.सी./2021-22, दिनाँकः 07-01-2022 के द्वारा कुल 20436 घनमीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का दो गुना अर्थात् ₹140.00 प्रति टन की दर से कुल ₹67,59,245.00 एवम् नोटिस संख्याः 12/30-जी.सी./2021-22, दिनाँकः 05-05-2022 के द्वारा कुल 13,5792 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् ₹770 प्रति घनमीटर की दर से ₹10,45,59,840.00 की वसूली के सम्बन्ध में अपना प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी, ग्राम-पत्तापानी, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल) को निर्देशित किया गया।

खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म विभाग उत्तराखण्ड, जनपद-नैनीताल के पत्र संख्याः 337/भू.खनि.इ./अ.ख./2023-24, दिनाँकः 19-07-2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी (नैनीताल) के पत्र संख्याः 360/पी.ए./शिविर/2021, दिनाँकः 28-12-2021 से श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी, ग्राम-पत्तापानी, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल) के पक्ष में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा स्थल में किए जा रहे अवैध खनन पर अर्थदण्ड आरोपित किए जाने की आख्या प्रेषित की गई थी जिसमें कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का दो गुना अर्थात् ₹140.00 प्रति टन की दर से धनराशि ₹67,59,245.00 (रुपया सड़सठ लाख उनसठ हजार दौ सौ पैंतालीस) जुर्माना वसूलने की संस्तुति की गई है, जबकि उक्त प्रेषित आख्या में अर्थदण्ड, रॉयल्टी का तीन गुना की दर से लगाया जाना था, परन्तु लिपिकीय त्रुटि के कारण उपरोक्त आख्या में रॉयल्टी के दो गुना से ही अर्थदण्ड आंगणित किया गया था। खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म विभाग उत्तराखण्ड, जनपद-नैनीताल ने अपने पत्र संख्याः 19-07-2023 के द्वारा उपरोक्त अवैध उत्खनित की मात्रा कुल 21,945.0 घनमीटर/48,280.32 टन पर रॉयल्टी का तीन गुना अर्थात् ₹210.00 प्रति टन की दर से ₹1,01,38,868.00 (रुपया एक करोड़ एक लाख अडतीस हजार आठ सौ अड़सठ) अर्थदण्ड वसूलने की संस्तुति की गई है। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्याः 68(1)/30-जी.सी./2023-2024, दिनाँकः 07-08-2023 के द्वारा अवैध खननकर्ता श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी, ग्राम-पत्तापानी, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल) को पूर्व में अर्थदण्ड की अध्यारोपित धनराषि कुल धनराषि ₹1,01,38,868.00 (रुपया एक करोड़ एक लाख अड़तीस हजार आठ सौ अड़सठ) के अर्थदण्ड वसूली के सापेक्ष पूर्व में जमा की गई धनराशि ₹67,59,245.00 (रुपया सड़सठ लाख उनसठ हजार दौ सौ पैंतालीस) से घटाकर शेष धनराशि ₹33,79,623.00 (रुपया तैंतीस लाख उनासी हजार छः सौ तेईस) के अर्थदण्ड की धनराशि जमा किए जाने के सम्बन्ध में अपना प्रत्युत्तर 01 (एक) सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

चूंकि अवैध खननकर्ता श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी, ग्राम-पत्तापानी, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल) द्वारा जिला कार्यालय, नैनीताल के क्रमशः नोटिस संख्याः 64/30-जी.सी./2021-22, दिनाँकः 07-01-2022 एवम् नोटिस संख्याः 12/30-जी.सी./2021-22, दिनाँकः 05-05-2022 के द्वारा अध्यारोपित धनराशि के विरूद्ध शासन में अपील प्रस्तुत की गई है जिसकी जानकारी कार्यालय में न होने के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्याः 68(1)/30-जी.सी./2023-2024, दिनाँकः 07-08-2023 के द्वारा अवैध खननकर्ता को प्रकरण में नोटिस प्रेषित किया गया था।

क्रमशः.....................2/

20

इस अवधि में अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्याः 837/VII-A-1/2023-10(10)/2023, दिनाँकः 25–05–2023, जो सामान्य लिपिक (जी.सी.) कक्ष, जिला कार्यालय, नैनीताल में दिनाँकः 22–09–2023 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जिला कार्यालय, नैनीताल के क्रमशः नोटिस संख्याः 64/30–जी.सी./2021–22, दिनाँकः 07–01–2022 के द्वारा कुल 20436 घनमीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का दो गुना अर्थात् ₹140.00 प्रति टन की दर से कुल ₹67,59,245.00 एवम् नोटिस संख्याः 12/30–जी.सी./2021–22, दिनाँकः 05–05–2022 से आरोपित धनराशि का उल्लेख करते हुए श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी, ग्राम–पत्तापानी, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल) द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में उनके विरूद्ध ₹47,90,419.00 की धनराशि अधिरोपित की गई है तथा आदेश पारित किया गया है कि जिलाधिकारी, नैनीताल के द्वारा पारित नोटिसों को तद्नुसार दुरूस्त करते हुए उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि को सम्बन्धितों से अधिकतम 06 माह के भीतर वसूल कर राजकोष में जमा कराए जाने का निर्णय पारित करते हुए तद्नुसार पुनरीक्षण/अपील निर्णित एवम् निस्तारित की जाती है।

अतएव अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 837/VII-A-1/2023-10(10)/2023, दिनाँकः 25–05–2023 द्वारा पारित आदेश के क्रम में अनुरोध है कि श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह से अवैध रूप से खनन/भण्डारण करने पर आरोपित धनराशि की भू–राजस्व की भाँति वसूल करने तथा वसूली उपरान्त उक्त धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्षक 0853–अलौह धातुकर्म उद्योग 102–खनिज रियायत शुल्क किराया एवम् स्वत्व शुल्क 01–खनिज रियायत शुल्क व स्वत्व शुल्क के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराते हुए इस कार्यालय को सूचित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। आरोपित धनराशि एवम् अवैध खननकर्ता द्वारा किए गए अवैध खनन का विवरण निम्न प्रकार है :–

नाम बकाएदार	बकाएदार से वसूल की जाने वाली धनराशि का विवरण	
	अवैध भण्डारण की मात्रा	आरोपित धनराशि (₹में)
1	2	3
श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी, ग्राम–पत्तापानी, तहसील, कालाढूंगी (नैनीताल)।	22,916 घनमीटर (2,24,352–93,334–84,102–24,000) अर्थात 41,248.8 टन	₹47,90,419.00

उक्त वर्णित वसूली प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी महोदया, नैनीताल के अनुमोदन उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
13/10/23
(फिंचा राम चौहान),
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व)/
अपर कलेक्टर, नैनीताल।